वर्ष 4, अंक 74 रु. 1/-

राष्ट्र महिला

दिसम्बर 2005 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

वर्ष 2005 की समाप्ति के साथ, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने अस्तित्व का एक और घटनापूर्ण वर्ष पूरा कर लिया है। वर्ष के अंत में, हमारे लिए अपने पाठकों को यह बताना उचित ही होगा कि इस दौरान आयोग ने संघ तथा राज्यों में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेने तथा उस पर परामर्श देने एवं महिलाओं के विकास और प्रगति का मूल्यांकन करने संबंधी सौंपे गये अपने दायित्व को पूरा करने की दिशा में क्या-क्या कार्य किये।

सौंपे गये दायित्व के अनुसरण में, आयोग ने लक्ष्यद्वीप के अतिरिक्त अब तक सभी राज्यों तथा संघ-क्षेत्रों का दौरा करके वहां की महिलाओं की स्थिति तथा उनके सशक्तिकरण की मात्रा के वृत्त तैयार किए हैं।

आयोग का एक अन्य बड़ा कार्य पीड़ित महिलाओं की शिकायतों पर विचार करके उन्हें त्वरित न्याय दिलाना है। निस्संदेह, आयोग का 'शिकायत और जांच कक्ष' उसकी एक आधारभूत इकाई है। बड़ी संख्या में उत्पीड़ित महिलाओं ने अपनी विपदा-निवारण के लिए आयोग से गुहार की। शिकायतों पर विचार करने के अतिरिक्त, आयोग ने महिलाओं की हत्या, बलात्कार, यौन-प्रहार, कार्यस्थल उत्पीड़न, दहेज मृत्यु, तंग किए जाने, नाबालिग लड़कियों को विदेशी नागरिकों को बेचने, पुलिस नृशंसता, हिरासत में मृत्यु आदि के 40 मामलों को, स्वयं अपने स्तर पर उठा कर अथवा शिकायतों के आधार पर उनकी जांच-पड़ताल भी की और आवश्यक कार्यवाही करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को अपनी सिफारिशें भेजीं।

वर्ष 2005 के दौरान, आयोग को 11,214 शिकायतें प्राप्त हुईं। आयोग ने अपने वेबसाइट www.ncw.nic.in पर शिकायतों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ कर दिया है ताकि देश के दूरस्थ भाग भी आयोग से सम्पर्क साध सकें।

इसके अतिरिक्त, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बावजूद भी, बाल-विवाहों के विशेषकर उत्तरी राज्यों में प्रचलन से चिंतित आयोग ने यह मुद्दा वरीयता के आधार पर हाथ में लिया और इस घृणित सामाजिक प्रथा से सर्वाधिक प्रभावित 6 राज्यों का दौरा किया। आयोग ने इस कार्य में क्षेत्र प्रचार निदेशालय तथा संगीत और नाटक विभाग का सहयोग भी लिया ताकि वे बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने वाली फिल्मों, नाटिकाओं आदि का प्रदर्शन करें।

चर्चा में — राष्ट्रीय महिला आयोग और वर्ष 2005

आयोग का एक अन्य प्रमुख कार्य महिलाओं को अपने उन विभिन्न कानूनी अधिकारों से सार्थक रूप से अवगत कराने के कार्यक्रम आयोजित करना है जिनके द्वारा वे राहत प्राप्त कर सकती हैं। इस संदर्भ में, आयोग ने महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों, राज्य महिला आयोगों और जिला सेवा प्राधिकारियों की सहायता से जगह-जगह पारिवारिक लोक अदालतें आयोजित कीं। आयोग ने दहेज निषेध अधिनियम 1961, जन्म-पूर्व लिंग निदान तकनीक अधिनियम 1994, भारतीय दंड संहिता 1860 तथा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1992 को अधिक कठोर और प्रभावशाली बनाने के प्रयोजन से उनकी पुनरीक्षा करने की पहल भी की।

महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे यौन उत्पीड़न, संसद में महिलाओं संबंधित लंबित विधेयकों, विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, बलात्कार एवं यौन प्रहार संबंधी कानूनों, महिलाओं को कानूनी सहायता आदि पर कार्यशालाएं और परामर्श भी आयोग ने आयोजित किए।

आयोग ने शीघ्र ही यह बात समझ ली कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता उनके सशक्तिकरण की कुंजी है। इसलिए, उसने इस मुद्दे पर विभिन्न विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जिनमें अर्थशास्त्रियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा अन्य विशेषज्ञों को शामिल किया गया। आयोग ने महिला उद्यमियों, उद्योग में महिलाओं, महिलाओं के भूमि पर अधिकारों, महिलाओं को लघु ऋण की, विशेषकर उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में, उपलब्धता आदि विषयों पर राज्य स्तरीय कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए।

इसके अतिरिक्त, महिलाओं की समस्याओं तथा शिकायतों को प्रत्यक्ष रूप से समझने के लिए आयोग ने विभिन्न स्थानों पर विविध मुद्दों जैसे चटाई बुनकर महिलाएं, हस्थकरघा उद्योग की महिलाएं, पुष्प उद्योग एवं कृषि में कार्यरत महिलाएं, महिलाएं तथा स्वास्थ्य सेवाएं, सुनामी राहत और पुनर्वास, महिलाओं का अनैतिक व्यापार, बाल विवाह, दहेज आदि पर जन-सुनवाइयों का आयोजन किया।

बाल-हत्या और भ्रूण-हत्या के परिणामस्वरूप महिलाओं के गिरते हुए अनुपात की दृष्टि में, और जन्म-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम को मज़बूत बनाने के प्रयोजन से, आयोग ने विचारों के आदान-प्रदान के लिए विभिन्न राज्यों के महिला और बाल विकास विभागों

के अधिकारियों, स्वास्थ्य सचिवों एवं पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठकें कीं। यौन हिंसा, अपहरण और महिलाओं को तंग किए जाने की घटनाओं में हाल ही में चिंताजनक वृद्धि को देखते हुए, आयोग ने इसका सामना करने हेतु स्कूल के विद्यार्थियों के लिए लिंग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

अंत में, महिलाओं के प्रति हिंसा और अपहरण को समाप्त करने की दिशा में एक नयी और जोरदार मुहिम चलाते हुए, हाल ही में आयोग ने सामाजिक जागरूकता पैदा करने और विशेषकर इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में अपनी सेवाओं का विज्ञापन करना प्रारम्भ किया तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में नारी भ्रूण-हत्या, महिलाओं के प्रति अपराध, बाल विवाह आदि पर प्रचार सामग्री का प्रस्तुतीकरण किया।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा तथा सदस्यों के सम्पर्क नम्बर

1. **डा. गिरिजा व्यास**
   अध्यक्षा
   फोन : 23236204, 23230785, 23236270
2. **सुश्री यास्मीन अब्रार**
   सदस्या
   फोन : 23237240
3. **सुश्री सुशीला तिरिया**
   सदस्या
   फोन : 23236202
4. **सुश्री नीवा कंवर**
   सदस्या
   फोन : 23236153
5. **सुश्री मालिनी भट्टाचार्य**
   सदस्या
   फोन : 23236203
6. **सुश्री निर्मला वेंकटेश**
   सदस्या
   फोन : 23236103
7. **श्री एन.पी. गुप्ता**
   सदस्य-सचिव
   फोन : 23236271

स्कूल के विद्यार्थियों के लिए लिंग जागरूकता कार्यक्रम

10 और 11 नवम्बर, 2005 को नजफगढ़ क्षेत्र में दिल्ली स्कूल बोर्ड के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए एक लिंग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सदस्या मालिनी भट्टाचार्य की अवधारणा पर आधारित इस कार्यक्रम में, न केवल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले स्कूलों तथा अनेक गैर-सरकारी संगठनों ने भाग लिया अपितु पुलिस ने भी राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ सहयोग किया। उद्घाटन सत्र में, आयोग की अध्यक्षा तथा सदस्यों के अतिरिक्त दिल्ली सरकार के शिक्षा सचिव, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के डिप्टी पुलिस कमिश्नर तथा अन्य जाने-माने लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में संवैधानिक अधिकारों, छोटी लड़कियों के अधिकारों, बाल विवाह, अपहरण, बाल यौन शौषण आदि विषयक सत्र आयोजित किए गये। एक लघु फीचर फिल्म "अपराजिता" प्रदर्शित की गयी। *'स्टेप फॉर चेंज'* द्वारा सड़क नाटिका प्रस्तुत की गयी तथा आयोग की शोध असिस्टेंट नीलम ने जूड़ो तकनीक से आत्म-रक्षा का प्रदर्शन दिया। बाद में, यह निर्णय लिया गया कि एक महीने के लिए बच्चे विभिन्न कार्य करेंगे जैसे पोस्टर पेंटिंग, विषयक गाने तैयार करना, और फिर जनवरी के प्रथम सप्ताह में नजफगढ़ स्टेडियम में माता-पिता, अध्यापकों, अभिभावकों, पुलिस, समाज के सदस्यों तथा विद्यार्थियों का एक सम्मेलन किया जायेगा।

लिंग जागरूकता कार्यक्रम में (बायें से) श्री प्रेम सिंह, श्री रवीन्द्र यादव, सुश्री रीना राय, डा. गिरिजा व्यास, सुश्री मालिनी भट्टाचार्य, सुश्री नीवा कंवर, सुश्री यास्मीन अब्रार। (नीचे) श्रोतागण

एकल-लड़की वाले परिवारों के लिए एक लाख रुपये

आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने ऐसे युगल को 1 लाख रुपयों की राशि देने की घोषणा की है जिनके गत तीन वर्ष में केवल एक लड़की है और जिन्होंने नसबंदी करा ली है। यह योजना वर्ष 2004 से लागू मानी जायेगी। मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 1000 रुपये देने की घोषणा भी की है जिनके शिशुओं का जन्म सरकारी अस्पताल में होगा। अब तक, सरकार 300 रुपये की राशि देती थी।

इस योजना का एक अन्य उद्देश्य महिलाओं को शिशु-जन्म के लिए सरकारी अस्पताल में आने को प्रोत्साहित करना है जहां उनका कोई खर्चा नहीं होगा और कुछ पैसा भी वे साथ में ले जा सकेंगी।

लड़कियों के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सीबीएसई) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की योजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहनों तथा छात्रवृत्तियों की घोषणा की है। परिवार में यदि केवल मात्र बच्चा लड़की है तो उसे स्नातकोत्तर तक की शिक्षा में प्रोत्साहन प्रदान किए जायेंगे जिनमें फीस की माफी तथा छात्रवृत्तियां शामिल हैं।

फिलहाल, यह योजना सीबीएसई अथवा यूजीसी से संबद्ध स्कूलों और संस्थाओं में लागू होगी।

योजना का विवरण :

- यदि केवल मात्र बच्चा लड़की है, तो उसे कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा मुफ्त प्रदान की जायेगी। सीबीएसई संबद्ध सभी स्कूल इससे बाध्य होंगे।
- परिवार में यदि दो बच्चे हैं और दोनों ही लड़कियां हैं, तो दोनों को फीस में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी अपने सभी स्वीकृत कार्यक्रमों के लिए इसी प्रकार के प्रावधान करेगा। फीस में छूट के अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत लड़की को स्नातक शिक्षा के लिए 100 रुपये प्रति मास की छात्रवृत्ति मिलेगी, डाक्टरी और इंजीनियरी शिक्षा के लिए 1000 रुपये प्रति मास मिलेंगे और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए 2000 रुपये प्रति मास।
- कॉलेज स्तर की ऐसी सभी एकल छात्राएं 'इंदिरा गांधी छात्रा' नाम से जानी जायेंगी। विभिन्न सार्वजनिक सेवा प्रदायकों से इन छात्राओं को छूट देने का निवेदन किया जायेगा।
- सीबीएसई तथा यूजीसी निम्नलिखित वर्गों के लड़के और लड़कियों दोनों के लिए 11,000 योग्यता-छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करेंगे :
- गैर-डाक्टरी तथा गैर-इंजीनियरी स्नातक-पूर्व अध्ययन के लिए सीबीएसई 550 छात्र-छात्राओं को 500 रुपये प्रति मास की छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। इंजीनियरी तथा डाक्टरी अध्ययन के लिए क्रमशः 350 एवं 150 विद्यार्थियों को 1000 रुपये प्रति मास दिए जायेंगे। उनका चयन कक्षा 12 की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।
- यूजीसी, सभी विश्वविद्यालयों तथा मान्य विश्वविद्यालयों में, 18 पाठ्यक्रमों में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए 2000 रुपये प्रति मास प्रदान करेगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अपेक्षाओं के अनुसरण में, राष्ट्रीय महिला आयोग की उप-सचिव सुश्री गुरप्रीत देव को उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है।

अपीलीय अधिकारी का ब्यौरा इस प्रकार है : फोन : 011-23233450, फैक्स : 011-23236154, ईमेल : deogurpreet@hotmail.com

अधिनियम की धारा 5(1) की अपेक्षा के अनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग की अवर सचिव व लोक सम्पर्क अधिकारी सुश्री रोमी शर्मा को सेंट्रल लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है।

लोक सूचना अधिकारी का ब्यौरा इस प्रकार है : फोन : 011-23238502, फैक्स : 011-23236988, ईमेल : pro_ncw@rediffmail.com

महत्वपूर्ण निर्णय

केवल बलात्कार पीड़ित का साक्ष्य भी सज़ा का आधार हो सकता है

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि केवल बलात्कार पीड़ित का साक्ष्य भी सज़ा का आधार बन सकता है और इसके लिए न्यायालय में डाक्टरी रिपोर्ट प्रस्तुत न किया जाना तथा डाक्टर का साक्ष्य न लिया जाना आरोपी को शंका का लाभ देने का आधार नहीं बन सकता।

तलाकशुदा के लिए रकम और मकान

एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय में, जिसमें तलाक के बाद भी पत्नी के वैवाहिक घर में उसका हक स्वीकार किया गया है, मुंबई उच्च न्यायालय ने पत्नी तथा उसकी दो पुत्रियों को 14 वर्ष की कानूनी लड़ाई के बाद 50 लाख रुपये का पैकेज प्रदान किया।

आयु के बारे में माता-पिता का कथन अंतिम

बलात्कार पीड़ित की आयु के निर्धारण के बारे में कि वह संभोग के लिए अपनी सहमति दे सकती है या नहीं, उच्चतम न्यायालय ने एक बड़े निर्णय में कहा कि डाक्टरी साक्ष्य की अपेक्षा माता-पिता का उसकी जन्मतिथि के बारे में कथन अधिक सार्थक है।

न्यायालय ने कहा कि पीड़ित के माता-पिता ने निश्चित रूप से कहा है कि लड़की का जन्म 29 नवम्बर, 1964 को हुआ था और उसके समर्थन में 'अकाट्य दस्तावेज' भी प्रस्तुत किए हैं जैसे कि हाई स्कूल प्रमाण-पत्र और जन्म प्रमाण-पत्र। "ये कथन तथ्य-आधारित हैं। यदि इन कथनों को डाक्टर के तथाकथित वैज्ञानिक रूप से किए गये अस्थि-परीक्षण के साथ तोला जाये तो ये विशेषज्ञ राय पर भारी पड़ेंगे।"

पूर्व-पत्नी भरण-पोषण की हकदार

पति की याचिका खारिज करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुकदमा न्यायालय के उस निर्णय को बरकरार रखा जिसमें एचआईवी-संक्रमित पत्नी और उसकी पुत्री को 6000 रुपये प्रति मास का वैवाहिक भरण-पोषण प्रदान किया गया था, भले ही इस रोग से ग्रसित होने की परिस्थितियां चाहे जो भी रही हों।

निर्णय देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि "मेरी राय में अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है कि पत्नी तथा उसकी नाबालिग लड़की किस प्रकार इस रोग से संक्रमित हुए। यह देखते हुए कि पत्नी ने इसका कारण रक्त चढ़ाया जाना बताया है, दोनों को अंतरिम भरण-पोषण न दिया जाना विवेकयुक्त नहीं होगा।"

सदस्यों के दौरे

- सदस्या यास्मीन अब्रार ने चेम्बूर, मुंबई में स्त्री आधार केन्द्र द्वारा महिलाओं की समस्याओं पर आयोजित एक जन-सुनवाई में भाग लिया। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को दी गयी राहत उनके पास नहीं पहुँचती तो जन आधार केन्द्र इसकी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग को भेज सकता है।
- सदस्या सुशीला तिरिया ने बरीपाद तथा रायरंगपुर में आयोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने महिला हस्तकरघा बुनकरों की एक जन-सुनवाई में भी भाग लिया और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के उपायों पर चर्चा की। बरीपाद में आदिवासी तथा पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर में उन्होंने शिरकत की। बाद में वह कल्याणी महिला समिति द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर में गयीं जिसमें एचआईवी/एड्स के बारे में जानकारी प्रदान की गयी और रक्त परीक्षण भी किए गये।
- कोलकता में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जूरीडिकल साइंसेज द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में सदस्या मालिनी भट्टाचार्य ने भाग लिया जिसमें उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मनीपुर, पश्चिम बंगाल तथा बिहार के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी मौजूद थे। सुश्री भट्टाचार्य ने पुलिस और सिविल समाज पर अपनी बात कही। उन्होंने कोलकता नगर निगम क्षेत्र में लिंग परीक्षण निषेध पर पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही शोध परियोजना संबंधी बैठक में भी भाग लिया। बाद में, वह किड्डरपुर कॉलेज की महिला कक्ष गयीं तथा वहां की महिला जागरूकता परियोजनाओं पर चर्चा की।

  सुश्री भट्टाचार्य ने फरीदाबाद में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले की जांच की और सुझाव दिया कि यह मामला सीआईडी को सौंप दिया जाये क्योंकि पुलिस की जांच तथा डाक्टरी रिपोर्टों के बीच भारी विरोधाभास था।
- सदस्या नीवा कंवर ने गुवाहाटी में एचआईवी/एड्स पर आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिया। अधिकतर वक्ताओं की राय थी कि एड्स के बारे में जागरूकता की शिक्षा स्कूल तथा तृणमूल स्तर पर प्रदान की जाये। सुश्री कंवर डिब्रूगढ़ में महिला अध्ययन केन्द्र में भी गयीं। यह केन्द्र उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर एक कार्यशाला का आयोजन करेगा। शिवसागर में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कानूनी जागरूकता पर प्रायोजित कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। इसमें लगभग 700 महिलाएं उपस्थित थीं।
- सदस्या निर्मला वेंकटेश हरियाणा के झज्जर जिले में आशा लता की कथित दहेज उत्पीड़न के कारण हुई मृत्यु की जांच करने गयीं। उन्होंने सिफारिश की कि अपराधियों को तुरंत पकड़ा जाये और कठोर दंड दिया जाये। चंडीगढ़ में सुश्री वेंकटेश ने महिलाओं के घटते हुए अनुपात पर प्रादेशिक परामर्श में भाषण दिया। बाद में उन्होंने वहां अखिल भारतीय महिला बैंक कर्मचारियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया।

महिलाओं का पीछा करने के लिए सात वर्ष की जेल

महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी कानूनों में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा तैयार किए गए एक विधेयक में पहली बार "पीछा करने" की परिभाषा दी गयी है और इसे एक दंडनीय अपराध के रूप में शामिल किया गया है।

विधेयक के मसौदे में भारतीय दंड संहिता में धारा 509 के साथ एक नयी धारा 509ख जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है जिससे महिलाओं को तंग करने के अपराधों में एक नया अपराध "महिला का पीछा करना" भी जुड़ जायेगा। विधेयक में विस्तार से इसे परिभाषित किया गया है।

आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का पीछा करता है या उसके पास फटकता है, उसके इर्दगिर्द अनावश्यक रूप से चक्कर काटता है अथवा उसके रहने या काम करने के स्थान पर पहुंचता या घुसता है, उस पर निगरानी रखता है, इत्यादि, तो उसे हिरासत में ले लिया जायेगा। इस अपराध के लिए विधेयक में सात वर्ष के कारावास और जुर्माने की सज़ा रखी गयी है।

शिकायत कक्ष से

- सुश्री वीना ने आयोग से अपने पति डी.के. पांडा के विरुद्ध, जो एक पूर्व पुलिस महानिरीक्षक हैं और स्वयं को 'दूसरी राधा' कहते हैं, शिकायत की जिसका संज्ञान लेते हुए आयोग ने कार्यवाही की। आयोग की अध्यक्षा सुश्री गिरिजा व्यास के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, पांडा सुश्री वीना को 7000 रुपये प्रति मास भत्ता देने तथा मकान की खरीद या निर्माण के लिए 15 लाख रुपये देने को तैयार हो गये हैं। सुश्री गिरिजा व्यास के साथ आयोग की उप-सचिव सुश्री गुरप्रीत देव थीं।

यूएनआई के सौजन्य से
आयोग की अध्यक्षा गिरिजा व्यास पांडा और उनकी पत्नी के साथ

- नजफगढ़, दिल्ली की निवासी सुश्री उषा (परिवर्तित नाम) ने आयोग से कहा था कि उनका विवाह नवम्बर 1999 में श्री अमरजीत (परिवर्तित नाम) के साथ हुआ था। विवाह के 6-7 महीने के बाद उन्हें दहेज के लिए तंग किया जाने लगा। उसके एक वर्ष के बच्चे को भी सास-ससुर ले गये। आयोग के हस्तक्षेप के फलस्वरूप, बच्चा माँ को लौटा दिया गया। बाद के परामर्श सत्रों के पश्चात् पति और पत्नी साथ-साथ रहने को सहमत हो गये हैं। किन्तु उन्हें हिदायत दी गयी है कि जब तक आयोग संतुष्ट न हो जाये कि पत्नी को फिर नहीं सताया जायेगा, वे दोनों हर महीने आयोग में प्रस्तुत होंगे।

अधिक जानकारी के लिए देखें हमारी वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 - दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। आकांक्षा इम्प्रेशन, न्यू रोहतक रोड, सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित। सम्पादक : गौरी सेन